

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भा.द./57526/2015

जयपुर, दिनांक : 22 Jun 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची-1 के पैरा 20 में परिवर्तन।

संदर्भ:- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 20 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

“ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा स्कीम के अधीन किए गए सभी कार्य के लिए मौलिक घटक की लागत जिसके अंतर्गत कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक भी है, जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

अधिसूचना की प्रति संलग्न कर लेख है कि अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शाहीन अली खान)

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1565]

नई दिल्ली, बृस्पतिवार, जून 23, 2016/आषाढ़ 2, 1938

No. 1565]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 23, 2016/ASHADHA 2, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2016

का.आ. 2182(अ).—केन्द्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में, पैरा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(20) "ग्राम पंचायत और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा स्कीम के अधीन किए गए सभी कार्य के लिए मौलिक घटक की लागत जिसके अंतर्गत कुशल और अर्धकुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक भी है, जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. जे-11011/02/2016-मनरेगा (आर.ई.1)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

टिपण्ण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची में सं. का.आ. 323(अ.) तारीख द्वारा पहला संशोधन किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :-

1. का.आ. 88(अ) तारीख 14.01.2008

2. का.आ. 1489(अ) तारीख 18.06.2008
3. का.आ. 3000(अ) तारीख 31.12.2008
4. का.आ. 1824(अ) तारीख 22.07.2009
5. का.आ. 1860(अ) तारीख 30.07.2009
6. का.आ. 1484(अ) तारीख 30.06.2011
7. का.आ. 2202(अ) तारीख 22.09.2011
8. का.आ. 2423(अ) तारीख 21.10.2011
9. का.आ. 1022(अ) तारीख 04.05.2011
10. का.आ. 2754(अ) तारीख 21.11.2012
11. का.आ. 164(अ) तारीख 14.01.2013
12. का.आ. 867(अ) तारीख 01.04.2013
13. का.आ. 1770(अ) तारीख 20.06.2013
14. का.आ. 3423(अ) तारीख 11.11.2013
15. का.आ. 19(अ) तारीख 03.01.2014
16. का.आ. 1888(अ) तारीख 21.07.2014

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2016

S.O. 2182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely:—

In the said Act, in Schedule I, for paragraph 20, the following paragraph shall be substituted, namely:-

- (20) “For all works taken up under the Scheme, by the Gram Panchayat and other implementing agencies, the cost of the material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers, shall not exceed forty percent at the district level.”

[F. No. J-11011/02/2016-MGNREGA (RE-I)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

Note: Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 and subsequently amended vide following numbers:-

1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008

3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2009
6. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011
7. S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011
8. S.O. 2423(E), dated the 21st October, 2011
9. S.O. 1022(E), dated the 4th May, 2011
10. S.O. 2754(E), dated the 21st November, 2012
11. S.O. 164(E), dated the 14th January, 2013
12. S.O. 867(E), dated the 1st April, 2013
13. S.O. 1770(E), dated the 20th June, 2013
14. S.O. 3423(E), dated the 11th November, 2013
15. S.O. 19(E), dated the 3rd January, 2014
16. S.O. 1888(E), dated the 21st July, 2014